न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 02 / 2025
GCMS NO. 2025/36

1. बाबूलाल पुत्र श्रीचन्द उम्र 57 साल जाति माली निवासी बाग की ढाणी तह. बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. शंकर लाल पुत्र श्रीचन्द उम्र 42 साल जाति माली निवासी बाग की ढाणी तह. बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..............वादीगण

– ब ना म –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. आयुष चिकित्सालय ढाणा जरिये चिकित्सा विभाग सी.एच.सी. प्रभारी अधिकारी सिंघाना तह. बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. ग्राम पंचायत ढाणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सिंघाना जरिये उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, झुंझुनूं (राज0)

..............प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश चौधरी	अभिभाषक	वादीगण
2. श्री प्रदीप कुमार सैन	अभिभाषक	प्रतिवादी संख्या 4

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.04.2025

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादीगण की ओर से दिनांक 10.01.2025 को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि ग्राम सिंघाना स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 416 में से 3 बीघा व गत खसरा नम्बर 417 में से 2 बीघा कुल 5 बीघा पुख्ता भूमि कब्जे के आधार पर वादीगण के पिता श्रीचन्द उर्फ श्योचन्द पत्रु नत्थुराम उर्फ नाथा की कब्जे काश्त के आधार पर आवंटित की गई है तथा भू प्रबन्धक अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.11.1983 के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज हुई है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण के पिता का सदैव से कब्जा काश्त रहा है जिस हेतु उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा/खेतड़ी ने दिनांक 06.09.1983 को पट्टा आवंटित वादीगण के नाम से किया गया व दिनांक 30.11.1983 को प्रबन्धक अधिकारी के निर्णय के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम से दर्ज हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण का सदैव से कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में भूमि कब्जा है तथा उसी के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। वादीगण अपनी कब्जेसुदा भूमि पर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है।

4. यह कि गत खसरा नम्बर 416 में सेटलमेंट के पश्चात नए खसरा नम्बर 769 रकबा 0.53 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 1.06 हेक्टेयर निर्मित हुआ है तथा गत खसरा नम्बर 417 से हाल खसरा नम्बर 768 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 768 रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.25 हेक्टेयर निर्मित हुआ। जिसमें से गत खसरा नम्बर 416 में से वादीगण को 3 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जिसमें वादीगण का कब्जा काश्त सेटलमेन्ट के पश्चात कायम खसरा नम्बर 769 रकबा 0.53 हेक्टेयर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 770 के उत्तरी तरफ 0.22 हेक्टेयर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि खसरा नम्बर 417 के सम्पूर्ण भाग पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से सम्पूर्ण भूमि वादीगण की खातेदारी में सेटलमेन्ट में दर्ज हो चुकी है तथा खसरा नम्बर 417 से सटता हुआ है। दक्षिण तरफ गत खसरा नम्बर 416 की 3 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उसी वजह से वादीगण के पिता के नाम से 3 बीघा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज हुई है।

5. यह कि सेटलमेन्ट के समय जब गत खसरा नम्बर 416 में जो उस समय खसरा नम्बर दर्ज किये गये खसरा नम्बर 769 रकबा 0.53 हेक्टेयर है, खसरा नम्बर 770 रकबा 1.06 हेक्टेयर दर्ज कर दिये तथा खसरा नम्बर 770 मीन में से 0.75 हेक्टेयर भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम से दर्ज कर दी गई है जबकि वादीगण का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 768 के दक्षिण तरफ सटकर की कब्जा काश्त रहा है जिसमें खसरा नम्बर 769 रकबा 0.53 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 770 में से रकबा 0.22 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 771 से सटते हुए पर है। लेकिन बिना सही जांच किए वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज नहीं की जाकर खसरा नम्बर 770 मीन की भूमि वादीगण के नाम से 0.75 हेक्टेयर दर्ज कर दी है जबकि खसरा नम्बर 769 व 770 के मध्य जो रास्ता है उसमें खसरा नम्बर 769 सम्पूर्ण वादीगण के कब्जे काश्त में है जिसके चारों तरफ वादीगण द्वारा तारबाड़ कर रखी है जिसकी खातेदारी की घोषणा वादीगण अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है।

6. यह कि जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 में जब उक्त भूमि ग्राम ढ़ाणा के राजस्व में दर्ज की गई तब गत खसरा नम्बर 769 के हाल खसरा नम्बर 320 रकबा 0.53 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 770 मीन के खसरा नम्बर 1565/384/2 रकबा 0.75 हेक्टेयर कायम किये गये है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 1565/384/2 सेग्रीगेशन के हाल खसरा नम्बर 1583/384 रकबा 0.75 हेक्टेयर दर्ज है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है लेकिन इस भूमि के 0.53 हेक्टेयर में से रकबा 0.26 हेक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत का कब्जा है उसमें पंचायत भवन बना रखा है तथा 1645/1565 व कुछ हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1583/384 में पशु चिकित्सालय बना हुआ है। इस प्रकार खसरा नम्बर 320 जो गैर मुमकीन भर दर्ज है जिसका रकबा 0.53 हेक्टेयर है। उस पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 1583/384 में रकबा 0.53 हेक्टेयर पर ग्राम पंचायत व पशु चिकित्सालय का कब्जा काश्त है तथा कुछ खाली पड़ी है। इस प्रकार खसरा नम्बर 320 रकबा 0.53 हेक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए तथा जो भूमि खसरा नम्बर 1583/384 वादीगण की खातेदारी में दर्ज है वह उसमें से 0.27 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 व 0.26 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
जिला झुन्झुनूं (राज.)

संख्या 3 की खातेदारी में दर्ज होकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। क्योंकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण इसी प्रकार से काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने भवन का निर्माण भी खसरा नम्बर 1583/384 में 0.27 हेक्टेयर भूमि पर बना रखा है।

7. यह कि खसरा नम्बर 320 रकबा 0.75 हेक्टेयर जिस पर सदैव से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उसमें से 0.27 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से बिना कब्जा काश्त व मौका देखकर दर्ज कर दी तथा 0.26 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज कर दी जबकि इस सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। जिसके चारों तरफ तारबाड़ कर रखी है तथा जो भूमि खसरा नम्बर 1583/384 रकबा 0.75 हेक्टेयर वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। उस पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना भवन का निर्माण भी खसरा नम्बर 1583/384 में किया है। तथा अब प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से भूमि खसरा नम्बर 1641/320 दर्ज हुई है। जबकि उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। इस प्रकार जहां पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम से दर्ज है तथा जहां पर प्रतिवादी संख्या 2, 3 का कब्जा काश्त है वह भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जिसके संबंध में मौका रिपोर्ट भी मंगवाया जाना आवश्यक है ताकि मौके की स्थिति की जानकारी भी हो सके। प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम जो भूमि दर्ज की गई है। उस समय मौका रिपोर्ट नहीं ली गई तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने कब्जे अनुसार अपने भवन का निर्माण किया गया है। वह भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। तथा जो खसरा नम्बर 1642/320 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है उस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। इसलिए खसरा नम्बर 1642/320 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1641/320 रकबा 0.26 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 हेक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम से खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा इसी तरह खसरा नम्बर 1583/384 रकबा 0.75 हेक्टेयर में से 0.27 हेक्टेयर जहां पर प्रतिवादी संख्या 3 ने भवन बना रखा है तथा 0.26 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। तथा इसी तरह मौके पर काबिज काश्त है।

8. यह कि गत सप्ताह प्रतिवादी संख्या 2 व राजस्व कर्मचारी मौके पर आये तथा वादीगण की कब्जे काश्त भूमि में अपना भवन निर्माण करने के बारे में बताया तथा कहां कि उक्त खसरा नम्बर 1641/320 उन्ही के नाम दर्ज है। तब वादीगण ने रिकार्ड की नकल ली तब वादीगण को जानकारी हुई कि जो भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है उस पर प्रतिवादी संख्या 3 का भवन बना हुआ है तथा जिस भूमि खसरा नम्बर 320 वर्तमान 1641/320 रकबा 0.26 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 व खसरा नम्बर 1642/320 के नाम दर्ज है। लेकिन कब्जा काश्त वादीगण का है। तब उक्त वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

9. यह कि गत सप्ताह प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की कब्जाशुदा भूमि खसरा नम्बर 1641/320 रकवा 0.26 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1642/320 रकबा 0.27 हेक्टेयर पर राजस्व कर्मचारियों को लेकर आये तथा उक्त भूमि को अपना होना बताने लगे तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निर्माण करने की [illegible] जिस पर वादीगण ने कहा कि उक्त भूमि पर सदैव से उन्ही का कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का भवन दूसरी जगह बना हुआ है। तब उन्होने कहा कि जिस जगह प्रतिवादी संख्या 3 का भवन बना हुआ है वह भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने कहां कि अपना रिकार्ड दुरूस्त करवा लेवों वरना आपकी कब्जेशुदा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunjari Devi
Date: 2025.04.30 15:56:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

में ही भवन का निर्माण किया जायेगा। यदि प्रतिवादी, वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 1641/320 व 1642/320 में निर्माण कर लेते है, तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

10. यह कि वाद वर्णित भूमि गत खसरा नम्बर 416 में से ही वादीगण के 3 बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज हुई तथा गत खसरा नम्बर 416 के सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 769 रकबा 0.53 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 770 रकबा 1.06 हेक्टेयर निर्मित किये गये लेकिन सेटलमेन्ट ने वादीगण की खातेदारी में 769 की जगह 770 मीन की 0.75 हेक्टेयर दर्ज कर दी जबकि कब्जा 769 पर रहा है तथा उसी समय गलत रिकार्ड दर्ज हो गया जिस जगह खसरा नम्बर 770 मीन दर्ज होना चाहिए था वहां खसरा नम्बर 769 दर्ज कर दिया तथा दोनों ही खसरा नम्बर पुराना खसरा नम्बर 416 से निर्मित हुये है। इसलिए कब्जे अनुसार दुरूस्त किये जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

11. यह कि दावे के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज होने से तथा गत खसरा नम्बर 416 से ही निर्मित होने से तथा जिस भूमि पर वादीगण का कब्जा है उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम से दर्ज करने से तथा जहां कब्जा प्रतिवादी संख्या 2, 3 का है वो वादीगण की खातेदारी में दर्ज होने से तथा अब प्रतिवादी संख्या 2 गलत रिकार्ड की आड़ में निर्माण करने की धमकी देने से पैदा हुआ है जो सावधि है।

12. यह कि दिनांक 07.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 का अधिकारी मौके पर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1641/320, 1642/320 में आकर वादीगण को धमकी देकर गये है कि जबरन मात्र गलत रिकार्ड के अनुसार उनके नाम से दर्ज भूमि पर जबरन कब्जा करके भवन निर्माण करेंगें। यदि प्रतिवादीगण गलत रिकार्ड की आड में वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि पर निर्माण कर लेते है तो वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

13. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम बाग की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में होने से न्यायालय श्रीमान् जी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

14. यह कि वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार 3 रूपये कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

15. यह कि वाद पत्र नवीनतम रिकार्ड के साथ पेश किया जा रहा है। इसके पश्चात वादीगण ने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

16. यह कि वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

17. यह कि वाद पत्र नियमानुसार 2 प्रतियों में पेश किया जा रहा है।

18. अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) ग्राम बाग की ढ़ाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1641/320 रकबा 0.26 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1642/320 रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे तथा वादीगण के नाम से दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1583/384 रकबा 0.75 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 को 0.27 हेक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 को 0.26 हेक्टेयर भूमि दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 1641/320 रकबा 0.26 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1642/320 रकबा 0.27 हेक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 2, 3 का नाम हजफ किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अथवा

खसरा नम्बर 1641/320 व 1642/320 नक्शे में खसरा नम्बर 1583/384 की जगह दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 का भवन है उसका खसरा नम्बर 1642/320 दर्ज किया जावे तथा उसके दक्षिण में 1641/320 दर्ज किया जावे तथा वर्तमान में नक्शे में जहां खसरा नम्बर 1642/320 व 1641/320 दर्ज है उसकी जगह 1583/384 दर्ज किया जावे तथा उसका नक्शा 0.75 हेक्टेयर का दर्ज किया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खसरा नम्बर 1641/320 व 1642/320 जिस जगह स्थित है उसमें जब तक रिकार्ड दुरूस्त नहीं हो जाता है तब तक वादीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलान्दाजी ना करें तथा ना ही कोई निर्माण करें व ना ही कोई निर्माण सामग्री डाले ऐसा ना स्वयं करें तथा ना ही किसी अन्य से करावें।

(ग) वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो आयाचित हो जिसके वादीगण वाजिब अधिकारी हो सहवन से छुट गये हो।

19. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत तहसीलदार बुहाना से पुराने रिकार्ड की एवं वर्तमान मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बुहाना के द्वारा उनके पत्रांक भू0अ0/2025/1075 दिनांक 16.04.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

20. वादीगण की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी से जारी पट्टा दिनांक 06.09.1983 की फोटो प्रति, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी खेतड़ी मुख्यालय सिंघाना के निर्णय दिनांक 30.11.1983 की फोटो प्रति, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग क्रमांक 200 दिनांक 30.12.2024, नकल जमाबन्दी ग्राम सिंघाना संवत 2012 खाता संख्या 78, 170, संवत 2019 से 2022 खाता संख्या 3, संवत 2024 से 2027 खाता संख्या 3, 316, संवत 2046 से 2049 खाता संख्या 281, 246, संवत 2050 से 2053 खाता संख्या 293, नकल मिसल हैकियत संवत .... खाता संख्या 209, नकल आधार जमाबन्दी संवत 2054 ग्राम ढ़ाणा खाता संख्या 219, 168, नकल जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 ग्राम ढ़ाणा खाता संख्या 171, 172, संवत 2062 से 2065 खाता संख्या 179, 180, संवत 2066 से 2069 खाता संख्या 184, नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 ग्राम बाग खाता संख्या 84, 101, 59, 104, नक्शा ट्रेस सन् 1936 से 1937 मौजा सिंघाना, सन् 1979–80 ग्राम सिंघाना ढ़ाणा पेश हुये।

21. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड को तहसीलदार महोदय बुहाना की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.04.2025 के आधार पर दुरूस्त किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

22. पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार बुहाना की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.04.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराने व नये राजस्व रिकार्ड में त्रुटि हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

23. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादीगण के वाद पत्र के अभिवचनों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं सनद दिनांक 08.09.1983 द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना दिनांक 04.04.2025 के अनुसार वादीगण का वाद पत्र सन्देह से परे साबित होता है। लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: आदेश :—

24. अतः वाद वादीगण बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बाग तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं का वर्तमान राजस्व रिकार्ड तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.04.2025 (प्रदर्श—'अ—1 से अ—5' व 'ब') के अनुसार दुरूस्त किया जाता है। प्रदर्श— 'अ—1 से अ—5' व 'ब' इस निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

25. निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

1. बाबूलाल पुत्र श्रीचन्द उम्र 57 साल जाति माली निवासी बाग की ढाणी तह. बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. शंकर लाल पुत्र श्रीचन्द उम्र 42 साल जाति माली निवासी बाग की ढाणी तह. बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................वादीगण

– ब ना म –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. आयुष चिकित्सालय ढ़ाणा जरिये चिकित्सा विभाग सी.एच.सी. प्रभारी अधिकारी सिंघाना तह. बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. ग्राम पंचायत ढ़ाणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढ़ाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सिंघाना जरिये उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, झुंझुनूं (राज0)

....................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :–घोषणात्मक, **स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व** अधिनियम, 1956

मुकदमा नम्बर :– 02/2025
GCMS NO. 2025/36
निर्णय दिनांक :– 17.04.2025

वादीगण की ओर से श्री **मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से **श्री प्रदीप** कुमार सैन एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **17.04.2025** को **सुमन देवी** (आर.ए.एस.) उपखण्ड **अधिकारी बुहाना** के समक्ष **अंतिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

" वाद वादीगण बावत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम **बाग** तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं का वर्तमान राजस्व रिकार्ड तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.04.2025 (प्रदर्श अ–4) व 'ब' के अनुसार दुरूस्त किया जाता है। प्रदर्श– 'अ–1 से अ–5' व 'ब' इस निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार (भू.अ) बुहाना को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। "

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 17.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बहाना
उपखण्ड अधिकारी बहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:29 IST
Reason: SelfAttested